संख्या-162/2025/922/ 23-6099-40-2024

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 में धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना अन्तर्गत कतिपय क्षेत्रों के 04 चालू कार्यों पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि०, लखनऊ के कतिपय पत्र (तालिका के कॉलम-2) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित 04 चालू कार्य पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रू0 2613.46 लाख (रूपये छब्बीस करोड तेरह लाख छियालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि रूपये लाख में

क्र0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक एवं दिनांक	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश	स्वीकृति लागत/ प्राविधिक लागत/बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	9
1	12994/CE-HQ1/ DHARMARTH/ ADY/2024-25 Dt- 26-03-2025	प्रा.ख. अयोध्या	जनपद अयोध्या में अयोध्या रेलवे स्टेशन से रामपथ तक स्मार्ट रोड (क्षीर सागर पथ) (अ0जि0मा0) का निर्माण कार्य (लम्बाई 0.400 कि0मी0)	261/2023/ I/ 384321/ 2023/23-11099(099)/ 102/2023, दिनांक-09.09.2023	2231.54/ 2231.54/ 11.70/ 2219.84	1506.38	713.46
2	12719/CE-HQ1/ DHARMARTH/ ADY/2024-25 Dt- 11-03-2025	प्रा.ख. अयोध्या	जनपद अयोध्या में एन0एच0-27 से नयाघाट पुराने पुल तक मार्ग (धर्मपथ) (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 0.00 से 2.00 तक के मध्य (लम्बाई 2.00 कि0मी0) के चैड़ीकरण एवं विस्तारीकरण का कार्य।	94/2023/ I/289383/ 2023/ 23- 11099 (099)/3 /2023, दिनांक-17.03.2023	11691.95/ 11691.95 / 496.00 /11195.95	8713.04	500.00
3	12768/CE-HQ1/DHARMARTH/ GKP/ 2024-25 Dt- 17-03-2025	नि.ख.-3 गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में मानीराम बालापार टिकरिया गांगी बाजर मार्ग (अ0जि0मा0) का 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। (लम्बाई 16.150 कि0मी0	62/2024/ आई/ 507398/ 2024/23-11099 (099)/ 11/2024 दिनांक-28-02-2024	83805.69/ 83805.69 /39651.00/ 44154.69	30332.00	1000.00

4	12482/CE-HQ1/DHARMARTH/GKP/2024-25 Dt- 20-02-2025	नि.ख.-2 गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 सोनौली-नौतनवा-गोरखपुर मार्ग पर धर्मशाला पुल से निकलकर जटाषंकर तिराहा, अलीनगर चैराहा, बक्सीपुर चैराहा, रेती चैक, घण्टाघर होते हुए पाण्डेहाता चैराहा तक मार्ग का 02 लेन विथ पेव्ड शोल्डर में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 3.500 किमी0) का कार्य।	93/2024/ I/518905/ 2024/23-1109 9(099) /10/ 2024, दिनांक-13.03.2024	55556.78 / 55556.78 / 5.000/ 55551.78	20529.87	400.00
कुल योग-							2613.46

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रश्नगत चालू कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गतआदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों के समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबंधित बजट के आनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यमों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 26,13,46,000 (रुपये छब्बीस करोड़ तेरह लाख छियालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371353 धर्मार्थ - मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-4/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन ।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र0 शासन ।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ०प्र० शासन ।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शिव कुमार
अनु सचिव।